



प्रधान आयुक्त का कार्यालय,
Office of the Principal Commissioner,
केंद्रीय जीएसटी, अहमदाबाद दक्षिण आयुक्तालय
Central GST, Commissionerate- Ahmedabad South,
जीएसटी भवन, राजस्वमार्ग, अम्बावाड़ी अहमदाबाद 380015
GST Bhavan, Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad 380015



By: ई-मेल/ई-ऑफिस

दिनांक: 22.08.2025

(RTI-ORDER No. 68/2025-26)

प्रति,

R Mani Ratnam
H No: 30-937 Vinayaka Nagar,
Neredmet, Malkajgiri,
Hyderabad-Pin:500056
Telangana.
Email-id-mmani_rmr@yahoo.com

महानुभाव,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के अंतर्गत **R Mani Ratnam** द्वारा दाखिल किये गए आवेदन संबंधी -: M/Reg.

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के अंतर्गत **R Mani Ratnam** के द्वारा दाखिल किये गए आवेदन, पंजीकरण संख्या CCEAB/R/T/25/00157 दिनांक 25.07.2025 को इस कार्यालय को में प्राप्त हुआ है।

2 . उक्त विषय में यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा उक्त आर.टी.आई. में मांगी गयी जानकारी/सूचना निम्नवत है।

In the above subject it is to inform that the information sought vide above RTI may be treated as NIL as per office records.

3. यदि आवेदक उपरोक्त प्रतिक्रिया/जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर श्रीमती सुमंगला शर्मा, संयुक्त आयुक्त सह प्रथम-अपीलीय प्राधिकारी, प्रधान आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय जीएसटी, अहमदाबाद-दक्षिण, चौथी मंजिल, केंद्रीय जीएसटी भवन, पॉलिटेक्निक के सामने, अंबावाड़ी, अहमदाबाद- 380015 को अपील कर सकते हैं।

In case the applicant is not satisfied with the aforementioned response, an appeal can be preferred to Smt. Sumangla Sharma, Joint Commissioner cum First Appellate Authority, Office of the Principal Commissioner, Central G S T, Ahmedabad-South, 4th Floor, Central GST Bhawan, Opp. Polytechnic, Ambawadi, Ahmedabad- 380015 within 30 days from the date of receipts of this order.

सहायक आयुक्त-सह-लोक सूचना प्राधिकारी,

केन्द्रीय जीएसटी, अहमदाबाद (दक्षिण)

प्रति: Superintendent (Systems), CGST, Ahmedabad (South) requesting to upload the RTI order on the website of this Commissionerate.